

1. The Federal Public Service Commission became the Union Public Service Commission after independence. It was given a constitutional status with under of Constitution of India on 26 January 1950.
2. According to Article 322 in the Indian Constitution, the expenses of Public Service Commission of a State are charged upon the Consolidated Fund of State. This includes salaries, allowances, and pensions payable to the members of staff of the commission.
3. All statements are true.
4. the Government of India Act, 1935 and with its coming into effect on 1st April, 1937, the Public Service Commission became the Federal Public Service Commission.
5. The chairman and members of the UPSC hold office for a term of Six years or until they attain the age of 65 years. 2. The chairman and members of the Commission can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president.
6. Powers of the Comptroller and Auditor General of India. Article 148 of the Constitution of India establishes the authority of this office.
7. The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule: Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect .
8. The salary and other conditions of service of the CAG are determined by the Parliament of India through "The Comptroller and Auditor-General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971". His salary is same as that of judge of the Supreme court of India.
9. HK Kripalani

10. As per Art. 316, the Chairman and other members of Union Public Service Commission shall be appointed by the President. In case the office of the Chairman becomes vacant his duties shall be performed by one of the other members of the Commission as the President may appoint for the purpose.
11. Resignation: A member of the Union Public Service Commission may resign from his/her office by submitting the written resignation to the President of India. The President can suspend the Chairman or any other member from his/her office in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court.
12. Should have at least 10 years of working experience under the Government of India and the State Government.
13. The Union Public Service Commission annually presents to the president of India a report on its performance. The President places this report before both the Houses of Parliament.
14. Every member holds office for a term of six years or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The terms and conditions of service of chairman and members of the Commission are governed by the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969.
15. According to Article 322 in the Indian Constitution, the expenses of Public Service Commission of a State are charged upon the Consolidated Fund of State. This includes salaries, allowances, and pensions payable to the members of staff of the commission.
16. The Governor determines the number of members of the Public Service Commission
17. The Chairman and members of the Union Public Service Commission are appointed by the President of India.

Chairman and a member of the State Public Service Commission give his resignation to the Governor of the State.

18. The Governor of State. Article 315 to 323 mentions the powers of the State Public Service Commission, the appointment of members and dismissal, etc.

19. Tenure: A member of the SPSC shall hold office for a term of six years or till the age of 62 years, whichever is earlier.

20. Subsequent to the provisions of Section 96(C) of the Government of India Act, 1919 and the strong recommendations made by the Lee Commission in 1924 for the early establishment of a Public Service Commission, it was on October 1, 1926 that the Public Service Commission was set up in India for the first time.

21. INDORE

22. DV Rege was the first Chairman of the Madhya Pradesh State Public Service Commission (MPPSC). Headquarters: Indore.

23. 1 November 1956  
Madhya Pradesh Public Service Commission, publicly known as MPPSC is a state government-led agency of Madhya Pradesh state.

24. Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

25. Article-317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission. UPSC.

26. As per Article 323, it shall be the duty of the JSPSC to present the annual report to the Governor of each of the States which have together formed the Commission.

27. Art. 316

28. Article 148 - Comptroller and Auditor-General of India

There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on like grounds as a Judge of the Supreme Court.

29. The incumbent is appointed for a period of 6 years or until attaining the age of 65 years whichever is earlier.

30. Constitutional status. Articles 315 to 323 of Part XIV of the constitution, titled as Services Under the Union and the States, provide for a Public Service Commission for the Union and for each state. Accordingly, as per Art. 315, at Union level, Union Public Service Commission is envisaged by it.

31. The Chairman and members of the State Public Service Commission are appointed by the Governor of the State.

32. They are constitutional bodies

33. Article 151 says that the reports of the CAG of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the president, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

34. Comptroller and Auditor General of India audits the receipts and expenditure of State Governments, Government Companies and Central Government. The audit of local bodies is not done by CAG.

35. By the President after the address in both the Houses of the Parliament of India

36. Article 338 of the Indian constitution deals with National Commission for Scheduled Castes.

37. Members of the commission includes a chairman, a vice chairman and four other members. It was set up as a national level advisory body to advise the government on broad policy issues and levels of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

38. 19 February 2004,  
The first Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was set up in August 1978 with Bhola Paswan Shastri as chairman and other four members. Members of the commission includes a chairman, a vice chairman and four other members.

39. Subsection (4) of section 5 lays down that a Commission of Inquiry shall be deemed to be a civil court and when any offence as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the Commission.

40. The State Commission submits its annual report to the State Government. It submits special or annual reports to state legislatures along with the action taken on their recommendations and reasons for nonacceptance of advice.

41. Not determined

42. State Government

43. The Chairperson and every other Member shall hold office for a term not exceeding five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment: Provided that no person shall hold office as the Chairperson or other Member after he has attained the age of sixty-five years. 5.

44. Comptroller and Auditor General

45. The function of the Public Accounts Committee is to examine the annual audit reports of the Comptroller and Auditor

General of India (CAG), which are laid before the Parliament by the President.

46. The chairman and members of the National Human Rights Commission are appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister (Chairperson), the Home Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha, the Speaker of the Lok Sabha, and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.

47. Although the chairperson and members of a State Human Rights Commission are appointed by the governor they can only be removed by the President (and not by the Governor).

48. They all include

49. To parliament

50. President

51. Section 5

52. Section 6

53. Twice

54. The Declaration was adopted by the UN General Assembly in Paris on 10 December 1948 during its 183rd plenary meeting.

55. The Comptroller and Auditor General of India (CAG) can resign from his office any time from by addressing the resignation letter to the president. He can also be removed by the president of India on the same grounds and in the same manner as a judge of the Supreme Court.

56. Article 151

57. Article 149 prescribes the duties of the Comptroller and Auditor General of India.

58. 1753

59. NITI Aayog, a think tank of the Government of India (whip tank)

60. 1 January 2015,  
NITI Aayog replaced the Planning Commission of India. It is basically a think-tank or an advisory body. The Planning

Commission designed Five Years Plans in India.

61. The Governing Council of NITI Aayog comprises the Hon'ble Prime Minister of India; Chief Ministers of all the States and Union Territories with legislature; Lt Governors of other UTs; Ex-Officio Members; Vice Chairman, NITI Aayog; Full-Time Members, NITI Aayog; and Special Invitees

62. Gives final approval to India's Five Year Plans.

63. NITI Aayog replaced by National Development Council

64. All is true.

65. Mr. Narendra Modi

66. NITI Aayog consists of a number of specialized wings such as the research wing, the consultancy wing, the team India wing. NITI Aayog functions in close cooperation, consultation and coordination with the Ministries of the Central Government, and State Governments of India.

67. Retired Chief Justice of Supreme Court along with other judges

68. Both A and C

69. The right to punish the commission in cases of human rights violations

70. The Act states that the chairperson and members of the NHRC and SHRC will hold office for five years or till the age of seventy years, whichever is earlier.

71. President

72. Justice P. Sadashivam

73. October 12, 1993

74. Justice Ranganath Mishra was the first chairman of National Human Rights Commission (NHRC).

75. Speaker of Lok Sabha

76. The Commission consists of a Chairperson, five full-time Members and seven deemed Members.

77. General Secretary

78. Civil court

79. It can look into a matter within one year of its occurrence, i.e the Commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed.

80. The One Hundred and Second Amendment of the Constitution of India, officially known as the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC). An Act further to amend the Constitution of India.

81. National Backward Classes Act 1993

82. Section 9 of The National Food Security Act 2013

83. 31 January 1992

84. National Commission for Women Act 1992

85. Section 118

86. Department of Personnel and Training

87. 13<sup>th</sup> 14<sup>th</sup> September 2010 ,DRDO Bhawan, New Delhi

88. Both A and B

Under the provision of Section-12 of RTI Act 2005 the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission.

89. 12 October 2005

90. The Chief Information Commissioner of India is the head of the Central Information Commission appointed by the President of India. The first Chief Information Commissioner was Wajahat Habibullah.

91. Similar to the Chief Election Commissioner of the Election Commission
92. NO
93. 5 years or 65 years
94. 2005
95. Ministry of Social Justice Empowerment
96. Both A and C
97. Article 338 and article 338(A)
98. 89<sup>th</sup> constitutional amendment  
By this amendment, the erstwhile National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was replaced by two separate Commissions namely- (i) the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), and (ii) the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) w.e.f. 19 February, 2004.
99. 27 October 1956
100. The State Food Commission shall consist of a Chairperson, five other Members and a Member-Secretary with associated administrative and technical staff.

1. संघीय लोक सेवा आयोग स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग बन गया। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसमें आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं।
3. सभी कथन सत्य हैं।
4. भारत सरकार अधिनियम, 1935 और 1 अप्रैल, 1937 को इसके प्रभावी होने के साथ, लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया।
5. यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य छः साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। 2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके अपने कार्यालय छोड़ सकते हैं।

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 इस कार्यालय के अधिकार को स्थापित करता है।
7. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं की जाती हैं, वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी: बशर्ते कि न तो वेतन एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और न ही उसके अधिकारों के संबंध में।
8. बाळ के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें भारत की संसद द्वारा "नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971" के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। उनका वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
9. एचके कृपलानी
10. कला के अनुसार। 316, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उनके कर्तव्यों का पालन आयोग के अन्य सदस्यों में से एक द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
11. इस्तीफा: संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलम्बित कर सकता है जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया हो।
12. भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
13. संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति को अपने प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है।
14. प्रत्येक सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 द्वारा शासित हैं।
15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की

संचित निधि पर भारित होता है। इसमें आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं।

16. राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है

17. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं।

18. राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का उल्लेख है।

19. कार्यकालरू एसपीएससी का एक सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

20. भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 (सी) के प्रावधानों और 1924 में ली आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की जल्द स्थापना के लिए की गई मजबूत सिफारिशों के बाद, 1 अक्टूबर, 1926 को भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।

21. इंदौर

22. डीवी रेगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालयरू इंदौर।

23. 1 नवंबर 1956

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे सार्वजनिक रूप से MPPSC के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य की एक राज्य सरकार के नेतृत्व वाली एजेंसी है।

24. खंड (3) के प्रावधानों के अधीन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, संदर्भ पर यह राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 145 के तहत उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर रिपोर्ट करता है कि अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो, को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए।

25. अनुच्छेद-317। लोक सेवा आयोग के सदस्य का हटाया जाना और निलंबन। संघ लोक सेवा आयोग।

26. अनुच्छेद 323 के अनुसार, JSPSC का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट पेश करे, जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है।

27. अनुच्छेद 316

28. अनुच्छेद 148 — भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारत का एक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा।

29. अवलंबी को 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

30. संवैधानिक स्थिति। संविधान के भाग ग्ट के अनुच्छेद 315 से 323, संघ और राज्यों के तहत सेवाएं शीर्षक से, संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करते हैं। तदनुसार, कला के अनुसार। 315 संघ स्तर पर इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई है।

31. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

32. वे संवैधानिक निकाय हैं

33. अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित भारत के CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

34. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों और केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करते हैं। स्थानीय निकायों का ऑडिट कैंग द्वारा नहीं किया जाता है।

35. भारत की संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा

36. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।

37. आयोग के सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं। इसे व्यापक नीतिगत मुद्दों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के स्तरों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में स्थापित किया गया था।

38. 19 फरवरी 2004,  
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग अगस्त 1978 में भोला पासवान शास्त्री के अध्यक्ष और अन्य चार सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था। आयोग के सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं।
39. धारा 5 की उप-धारा (4) बताती है कि जांच आयोग को दीवानी अदालत माना जाएगा और जब भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित कोई अपराध हो संहिता आयोग की दृष्टि या उपस्थिति में प्रतिबद्ध है।
40. राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। यह राज्य विधानसभाओं को उनकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और सलाह की अस्वीकृति के कारणों के साथ विशेष या वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
41. निर्धारित नहीं
42. राज्य सरकार
43. अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने कार्यालय में आने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति उसके बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 5.
44. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
45. लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है।
46. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापति।
47. हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (और राज्यपाल द्वारा नहीं)।
48. वे सभी शामिल हैं
49. संसद को
50. राष्ट्रपति

51. धारा 5
52. धारा 6
53. दो बार
54. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को अपनी 183वीं पूर्ण बैठक के दौरान घोषणा को अपनाया गया था।
55. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
56. अनुच्छेद 151
57. अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
58. 1753
59. नीति आयोग, भारत सरकार का एक थिंक टैंक (व्हिप टैंक)
60. 1 जनवरी 2015,  
नीति आयोग ने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया। यह मूल रूप से एक थिंक-टैंक या एक सलाहकार निकाय है। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कीं।
61. नीति आयोग की शासी परिषद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री; विधायिका वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर; पदेन सदस्य; उपाध्यक्ष, नीति आयोग; पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग; और विशेष आमंत्रित
62. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है।
63. नीति आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
64. सब सत्य है।
65. श्री नरेंद्र मोदी
66. नीति आयोग में कई विशिष्ट विंग शामिल हैं जैसे अनुसंधान विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग। नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों और भारत की राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग, परामर्श और समन्वय में कार्य करता है।
67. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश
68. ए और सी दोनों

69. मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग को दंड देने का अधिकार
70. अधिनियम में कहा गया है कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य पांच साल या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
71. राष्ट्रपति
72. न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम
73. 12 अक्टूबर 1993
74. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पहले अध्यक्ष थे।
75. लोकसभा अध्यक्ष
76. आयोग में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।
77. महासचिव
78. सिविल न्यायालय
79. यह घटना के एक वर्ष के भीतर किसी मामले को देख सकता है, अर्थात् आयोग को किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं है जिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
80. भारत के संविधान का एक सौ दूसरा संशोधन, जिसे आधिकारिक रूप से संविधान (एक सौ और दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में जाना जाता है, ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया। भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
81. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993
82. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9
83. 31 जनवरी 1992
84. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992
85. धारा 118
86. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
87. 1314 सितंबर 2010, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
88. ए और बी दोनों  
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा -12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में जाने जाने वाले एक निकाय का गठन करेगी।
89. 12 अक्टूबर 2005

90. भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे।
91. चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के समान
92. नहीं
93. 5 वर्ष या 65 वर्ष
94. 2005
95. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
96. ए और सी दोनों
97. अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338(ए)
98. 89वां संविधान संशोधन  
इस संशोधन द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग आयोगों से बदल दिया गया था – (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) w-e-f. 19 फरवरी, 2004A
99. 27 अक्टूबर 1956
100. राज्य खाद्य आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और संबद्ध प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक सदस्य-सचिव शामिल होगा।